न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

बिलाडा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– सोहन लाल, आई.ए.एस. प्रशिक्षु

राजस्व वाद संख्या– 76/2021

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादी**
1 अलादीन खां पुत्र उस्मान खां 2 शरीफ खां पुत्र उस्मान खां 3 मीरगा पुत्री उस्मान खां 4 धीया पुत्री उस्मान खां 5 हाजा पुत्री उस्मान खां 6 हमकी पुत्री उस्मान खां 7 श्रीमती ऐमना पत्नी उस्मान खां जातियान् सिंधी मुसलमान, निवासीगण– सिंधी नगर, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बिलाडा, जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थितिः–वादीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से सरकारी पेरोकार

निर्णय **दिनांक** 22/3/2022

संक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सिन्धी नगर (कापरडा), तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा किस्म गै.मु. मगरा की थी। उपरोक्त खसरा नम्बर 458 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा में से 05 बिस्वा पर वादी संख्या 1 से 6 के पिता व वादी संख्या–7 के पति उस्मान खां का कब्जा व काश्त चला आ रहा था। वादी संख्या 1 से 6 के पिता व वादी संख्या–7 के पति उस्मान खां ने तहसील बिलाडा को प्रार्थना–पत्र पेश किया कि खसरा नम्बर 458 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा में से 05 बिस्वा की भूमि आवंटन की जावें। जिस पर तहसीलदार बिलाडा ने खसरा नम्बर 458 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा में से 05 बिस्वा की भूमि को दिनांक 25.04.1973 को आवंटन करने का आदेश दे दिया। राजस्व रेकर्ड में उस्मान खां के नाम भूमि दर्ज करने के लिये हल्का पटवारी को आदेश दिया, जिसकी पालना में हल्का पटवारी म्यूटेशन भर कर नायब तहसीलदार बिलाडा के समक्ष पेश किया। जिस पर नायब तहसीलदार बिलाड़ा ने दिनांक 15.10.1974 को उस्मान खां के नाम से खसरा नम्बर 458 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा में से खसरा नम्बर 458/1 रकबा 5 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 305 स्वीकृत कर दिया गया। भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा में से रकबा 05 बिस्वा को वादी संख्या 1

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

से 6 के पिता व वादी संख्या 07 के पति उस्मान खां को दिनांक 25.04.1973 को आवंटन कर दी गयी, उस आवंटन के आधार पर राजस्व रेकर्ड में नायब तहसीलदार बिलाडा द्वारा म्यूटेशन संख्या 305 दिनांक 15.10.1974 को स्वीकृत कर दिया गया, लेकिन राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में खातेदारी इन्द्राज नही की गयी है एवं वादी संख्या 1 से 6 के पिता व वादी संख्या 7 के पति उस्मान खां का अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने के कारण राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की ओर कभी भी ध्यान नही दिया गया। अतः वादीगण भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा में से 05 बिस्वा भूमि को अपने नाम से घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादी संख्या 1 से 6 के पिता व वादी संखय 7 के पति उस्मान खां को खसरा नम्बर 458 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा में से रकबा 05 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 25.04.1973 को हुआ, वक्त आवंटन उस्मान खां का कब्जा चला आ रहा था तथा उनके देहान्त के बाद वादीगण का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। अतः वादीगण भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा में से रकबा 05 बिस्वा का वादीगण की खातेदारी की घोषित कराने के लिये यह दावा पेश करना पड रहा है। अन्त में दावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण को भूमि खसरा नम्बर 458/1 रक़बा 05 बिस्वा किस्म गै.मु. बड़ा वाके ग्राम सिन्धी नगर तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। तथा इसी आशय की खातेदारी काश्तकारी की घोषित भूमि का राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने का तहसीलदार बिलाडा को आदेश फरमाया जावें।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सिंधीनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा गै॰मु॰मगरा की स्थित थी। जिसमें से 5 बिस्वा भूमि वादी को आवंटित की गयी। जिसका राजस्व रेकर्ड में नामान्तकरण संख्या 305 स्वीकृत किया गया है। अन्त में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम दर्ज करने की अनुशंषा की गयी है। इस कारण दावे में तनकीयात की आवश्यकता नहीं रही वादी ने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2030 से 2034 खसरा नम्बर 458, प्रदर्श–2 नामान्तकरण संख्या–305, प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत 2034 से 2037, प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत 2075 से 2078 खसरा नम्बर 458 आदि के पेश किये है। तथा अपने दावे के समर्थन में पी॰डब्लू॰2 रजाकखान, पी॰डब्लू॰3 युसुफ मोहम्मद के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादी ने सरपंच ग्राम पंचायत सिंधीनगर तथा पंचायत समिति सदस्य कापरड़ा का प्रमाण पत्र आदि को पेश किया है। तथा विवादित भूमि के 3 रंगीन फोटो को पेश किया है।

उभय पक्षकारान की बहससुनी गयी पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया, जिससे विदित होता है कि वादी संख्या–1 से 6 के पिता व वादी संख्या–7 के पति उस्मान खां को खसरा नम्बर 458 रकबा 1 बीघा 4

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

बिस्वा में से रकबा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 25.04.1973 को हुआ, जिसका राजस्व रेकर्ड में नामान्तकरण संख्या–305 स्वीकृत किया गया। जिसका जमाबंदी संवत 2030 से 2033 में उस्मान पुत्र खुदाबक्श के नाम दर्ज की गयी। लेकिन उसके आगे की जमाबंदी में मूल खसरा नम्बर 458 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा में से 5 बिस्वा की भूमि को कम कर दिया गया। लेकिन वादीगण के नाम की अलग से जमाबंदी में 5 बिस्वा की भूमि को दर्ज नहीं किया गया है, जो एक लिपिकीय त्रुटी है। अतः ग्राम सिंधीनगर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 458/1 रकबा 5 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बाड़ा वादीगण की घोषित की जाती है। तथा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादीगण का नाम इन्द्राज करने का आदेश पारित किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि ग्राम सिंधीनगर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 458/1 रकबा 5 बिस्वा किस्म गै.मु.बाड़ा की भूमि वादीगण के नाम का नामान्तकरण स्वीकृत कर वर्तमान जमाबंदी में इन्द्राज किया जावें, इसी माफिक निर्णय की पालना कर इस न्यायालय को रिपोर्ट पेश करें। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सोहन लाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 22/3/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(सोहन लाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास सोहन लाल, आई.ए.एस. प्रशिक्षु

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1 अलादीन खां पुत्र उस्मान खां
2 शरीफ खां पुत्र उस्मान खां
3 मीरगा पुत्री उस्मान खां
4 धीया पुत्री उस्मान खां
5 हाजा पुत्री उस्मान खां
6 हमकी पुत्री उस्मान खां
7 श्रीमती ऐमना पत्नी उस्मान खां
जातियान् सिंधी मुसलमान, निवासीगण– सिंधी नगर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,बिलाडा, जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :–76 / 2021

निर्णय दिनांक :– 22/3/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम सिंधीनगर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 458 / 1 रकबा 5 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बाड़ा वादीगण की घोषित की जाती है। तथा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादीगण का नाम इन्द्राज करने का आदेश पारित किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि ग्राम सिंधीनगर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 458 / 1 रकबा 5 बिस्वा किस्म गै.मु.बाड़ा की भूमि वादीगण के नाम का नामान्तकरण स्वीकृत कर वर्तमान जमाबंदी में इन्द्राज किया जावें, इसी माफिक निर्णय की पालना कर इस न्यायालय को रिपोर्ट पेश करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(सोहन लाल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई। 22/3/2022

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(सोहन लाल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा